

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1036/09

संस्थित दिनांक-31.12.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. घम्मोली जाट पुत्र गन्धर्ब सिंह जाट उम्र 47
निवासी ग्राम विलारा थाना हस्थनापुर जिला ग्वालियर म०प्र०
2. रायसिंह पुत्र गेंदालाल उम्र 40 वर्ष
निवासी ग्राम जखारा थाना हस्तिनापुर जिला ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 24.05.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 380 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.09.2009 को रात के 9 बजे आरक्षी केंद्र गोहद अंतर्गत फरियादी चरन सिंह का मकान ग्राम कल्यान पुरा से फरियादी के एक बकरा व एक बकरी की चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 14.09.2009 को रात्रि 9 बजे को फरियादी चरन सिंह अपने स्कूल वाले मकान में अपनी बकरा-बकरी को दोनों को बांध कर अपने गांव वाले मकान में खाना खाने चला गया था। खाना खाकर वापस आया तो उसने देखा कि मकान के छपरा में बंधे एक बकरा व एक बकरी नहीं है। कोई अज्ञात चोर चोरी कर भाग गया। फिर फरियादी ने पता किया तो महाराज सिंह जाटव ने बताया कि तुम्हारी बकरी व बकरा को घम्मोली जाट निवासी विलारा व रामसिंह जाटव निवासी जखारा को ले जाते हुए उसने देखा था। फिर फरियादी ने घम्मोली से बकरा व बकरी के बारे में पूछा तो दोनों ने 3000 रूपए देने पर बकरा व बकरी वापस करने की बोला था। फरियादी की उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-244/ 09 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान नक्शाभौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण से अभिरक्षा में पूछताछ कर उनका ज्ञापन लिया गया तत्पश्चात् बताए अनुसार स्थान से संपत्ति जब्त की गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.09.2009 को रात के 9 बजे आरक्षी केंद्र गोहद अंतर्गत फरियादी चरन सिंह का मकान ग्राम कल्यान पुरा से फरियादी के एक बकरा व एक बकरी की चोरी कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी चरनसिंह अ०सा० 1, महाराज सिंह अ०सा० 2, धीरसिंह अ०सा० 3, जगदीश गुप्ता अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1//

6. फरियादी चरन सिंह अ०सा० 1 कथन करते हैं कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 7-8 साल पहले की रात के 8-9 बजे की है। वह अपने स्कूल वाले मकान में अपने बकरा-बकरी को बांध कर गांव के मकान पर खाना खाने चला गया था वापस आने पर देखा तो बकरा बकरी वहां पर नहीं मिले थे। उक्त घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 1 लिखाए जाने का कथन करते हैं, जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। नक्शा मौका प्र०पी० 2 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साथ ही कथन किया है कि उसे नहीं पता कि बकरा बकरी को कौन चुरा कर ले गया था। रिपोर्ट डालने पर बकरा बकरी उसे चरते हुए मिल जाने का कथन किया है। यह भी कथन करते हैं कि पुलिस को उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखाया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि महाराज सिंह जाटव ने उसे घम्मोली जाट और रायसिंह द्वारा बकरा व बकरी चुरा कर ले जाते हुए देखने की बात बताई थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण से पूछने पर उन्होंने रुपए तीन हजार की मांग की थी। साक्षी को प्र०पी० 1 का बी से बी भाग अपनी चोरीकी जावे तथा पुलिस कथन फिर.....रिपोर्ट पढ़कर सुनाया तो साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। इस प्रकार से फरियादी चरन सिंह द्वारा उसके पूर्वतन कथन एवं प्राथमिकी के सारवान तथ्यों के संबंध में विरोधाभासी कथन किया है। इस कारण से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप संदिग्ध हो जाता है।

07. प्रकरण में महाराज सिंह अ०सा० 2, जिसके द्वारा फरियादी को अभियुक्तगण के संलिप्तता का तथ्य प्राथमिकी में लेख किया गया है, वह अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य से इंकार करता है कि वह अभियुक्तगण को जानता है साक्षी उसके समक्ष कोई घटना घटित होने से भी इंकार करता है। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी इस तथ्य से इंकार करता है कि दिनांक 14.02.2009 को रात करीब 9 बजे अभियुक्तगण को उसने एक बकरा व एक बकरी ले जाते हुए देखा था। साक्षी उससे पूछे गए सूचक प्रश्नों में पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रसं के संपूर्ण सारवान कथन को पुलिस को दिए जाने से इंकार करता है। इस प्रकार यह साक्षी अभिकथित रूप से अभियुक्त गण की अपराध में संलिप्तता के संबंध में सारवान खंडन करता है। जहां तक रिपोर्ट प्र०पी० 1, पुलिस कथन प्र०पी० 3 व 4 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका उपयोग मात्र साक्षी के कथन में विरोधाभास व लोप के संबंध में किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है।

08. प्रकरण में इस प्रकार से अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित चोरी के कृत्य के संबंध में कोई चछुदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है। जगदीश गुप्ता अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 01.10.09 को फरियादी चरनसिंह की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपराध क्रमांक 244/ 09 पर अपराध पंजीबद्ध किया था। उक्त रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। यह साक्षी विवेचक रामकिशोर शर्मा को थाना प्रभारी के निर्देश पर अपराध की केस डायरी दिए जाने का कथन करते हैं। यह बताते हैं कि प्रधान आरक्षक रामकिशोर द्वारा दिनांक 03.05.10 को अभियुक्त घम्मोली के समर्पित होने पर उससे पूछताछ कर ज्ञापन धारा 27 साक्ष्य विधान का लिया जाना बताते हैं। उक्त ज्ञापन प्र०पी० 5 पर बी से बी भाग पर प्रधान आरक्षक रामकिशोर के हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं और अभियुक्त से प्राप्त जानकारी की उसके द्वारा अभिकथित बकरी को चार हजार रुपए में बेचा जिसमें उसे दो हजार रुपए हिस्से में मिले जिसमें से 1500 रुपए घूमने फिरने में खर्च हो शेष 500 रुपए सफेद रंग की पॉलीथिन में बक्से में छिपा देने का तथ्य पता चला था। जिसके आधार पर पांच सौ रुपए अभियुक्त के घर से बक्से से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 6 बनाया था जिस पर बी से बी भाग पर प्र०आर० रामकिशोर के हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

09. प्र०पी० 5 व 6 का साक्षी धीरसिंह अ०सा० 4 के रूप में परीक्षित कराए गए जो यह कथन करता है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता, किंतु उसके सामने थाना गोहद में एक व्यक्ति से

पूछताछ की थी जिसमें उसने बताया था कि बकरी चोरी की थी, जिसमें बचे हुए पैसे अपने घर पर रखे हुए हैं तब प्र०पी० 5 के ज्ञापन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए जाने तथा उसके समक्ष उक्त व्यक्ति के बताने पर पांच सौ रूपए जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 6 बनाए जाने का कथन किया गया है। यह साक्षी सर्वप्रथम तो अभियुक्त को नहीं जानता और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि यदि जिस व्यक्ति से पूछताछ करना बताई, वह सामने आ जाए तो साक्षी उसे नहीं पहचान सकता है। साक्षी न ही प्रतिपरीक्षण में यह बताने में समर्थ है कि पूछताछ के समय और कौन साक्षी उपस्थित था। यह भी नहीं बता सकता कि अभिकथित बकरी कहां से चोरी करना बताई थी और कितने में बेची थी। कितने पैसे उक्त व्यक्ति के पास बचे थे। साक्षी यह बताता है कि वह नगर रक्षा समिति में कार्य करता है और थाने पर आता जाता है ऐसी दशा में जब यह साक्षी उपरोक्त विसंगतियां साक्ष्य में होना बताता है तब उसके स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी होने के संबंध में संदेह का तथ्य उत्पन्न होता है।

10. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता प्र० आर० रामकिशोर है, किंतु उनकी मृत्यु हो जाने से वे परीक्षित नहीं कराए जा सके। उनकी हस्तलिपि व हस्ताक्षर के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन जगदीश गुप्ता अ०सा० 4 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की है जो उक्त अनुसंधानकर्ता के साथ 6 माह तक कार्य करने व हस्ताक्षर व हस्तलिपि से भलीभांति परिचित होने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार करते हैं कि वे विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही के समय मौजूद नहीं थे और स्वीकार करते हैं कि प्रकरण में कोई बकरा व बकरी जप्त नहीं किया गया। यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि फरियादी चरन सिंह अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि रिपोर्ट डालने के बाद उसे बकरा व बकरी चरते हुए मिल गए थे। ऐसी दशा में जहां फरियादी अभिकथित चोरी हुई संपत्ति उसे रिपोर्ट करने के बाद मिल जाने का कथन करता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के संबंध में की गई अनुसंधान की कार्यवाही संदेहपूर्ण हो जाती है।

11. जगदीश गुप्ता अ०सा० 4 प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में स्वीकार करते हैं कि फरियादी द्वारा रिपोर्ट घटना से 15-16 दिन बाद लिखाई गई है और उनके द्वारा कोई प्राथमिक जांच नहीं की गई। उन्होंने इस तथ्य को भी सुनिश्चित नहीं किया कि फरियादी चरन सिंह के पास कोई बकरा व बकरी थी या नहीं। प्रकरण में अभियुक्तगण से अभिकथित बकरा व बकरी जप्त नहीं हुई है। साक्षी यह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त द्वारा बकरा या बकरी किसी व्यक्ति के सामने बेची गई हो इसका कोई कथन अभियोगपत्र में नहीं है। जहां अभियुक्तगण द्वारा चोरी की घटना कारित करते या फरियादी के मकाने में प्रवेश करते किसी के द्वारा नहीं देखा गया ऐसे में चछुदर्शी साक्ष्य के अभाव में मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है। उक्त श्रृंखला की

कड़ियों को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था, किंतु अभियोजन उसे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फरियादी द्वारा उसकी बकरा व बकरी रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद चरते हुए मिल जाने का कथन अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही को ध्वस्त कर देता है।

12. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 14.09.2009 को रात के 9 बजे आरक्षी केंद्र गोहद अंतर्गत फरियादी चरन सिंह का मकान ग्राम कल्याण पुरा से फरियादी के एक बकरा व एक बकरी की चोरी कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन मुक्त किए जाते हैं। धारा 437 ए दप्रस के अधीन प्रस्तुत जमानत निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

14. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पांच सौ रूपए दावाकृत न होने से अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे।

15. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश